कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा।

पाण्डेय गणपत राय भवन प्रथम तल्ला, समाहरणालय परिसर, लोहरदगा

Email-mdmloh@rediffmail.com. lohardagamdm@gmail.com

प्रपत्र–II

संख्यांक 955 /   तारीख : 25/09/2025

प्रबंधक,

शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर,

लोहरदगा।

विषय : नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 02.09.2025 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर तथा जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति, लोहरदगा की दिनांक 30.08.2025 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, लोहरदगा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 06 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालक/बालिकाओं की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :–

Scanned with OKEN Scanner

i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक/बालिका को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

ii. किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।

iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधन के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम, के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ता अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धार 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेति की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 2.45 एकड़

ii. कुल निर्मित क्षेत्रः– 1.45 एकड़

iii. क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफलः– 90 डिसमील

iv. प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंण्डरागार के लिए कक्षः– उपलब्ध

v. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयः– उपलब्ध

vi. पेयजल सुविधाः– उपलब्ध

vii. मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय):– नहीं

viii. बाधारहित पहुंचः– नहीं

ix. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धताः– उपलब्ध

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तिया के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहए। प्रत्येक लेखा वितरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किया जाय।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 2025/2015/0002 है। कृपा इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाय।

ह0/–
जिला शिक्षा अधीक्षक,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 955 /लोहरदगा, दिनांक 25/09/2025

प्रतिलिपि :– क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति, लोहरदगा एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
लोहरदगा।

Certificate No. - 2025/2015/0002 **Certified Date : 25/09/2025**

Department of School Education & Literacy

Goverment of Jharkhand

Under Section 18 of Right to Education Act 2009

Certificate of Recognition

is being awarded to

SASVM LOHARDAGA *of* Lohardaga *District w.e.f 25/09/2025*

Sig.
District Superintendent of Education
Lohardaga

Sig.
District Committee
Lohardaga

This certificate is online generated from https://rte.jharkhand.gov.in and does not require signature.

प्रमाण पत्र संख्या - 2025/2015/0002 **प्रमाणित दिनांक - 25/09/2025**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

झारखण्ड सरकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के अनुच्छेद १८ के तहत

मान्यता का प्रमाण पत्र

से सम्मानित किया जा रहा है

SASVM LOHARDAGA *of* Lohardaga जिला प्रभावी तिथि *25/09/2025*

ह./-
जिला शिक्षा अधीक्षक
Lohardaga

ह./-
उपायुक्त
Lohardaga

यह कंप्यूटर जनित प्रमाण पत्र https://rte.jharkhand.gov.in से निकाला गया है एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.

Scanned with OKEN Scanner

Condition of Recognition

Recognition of this School is granted under provision specified in section 18 of The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009 & Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011 , provided that the school will ensure that the provisions given in The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009, Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011, Department notification no. 629 dated 25.04.2019 and other directions issued from time to time by the department are strictly adhered to.

मान्यता की शर्त

इस स्कूल की मान्यता नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 में निर्दिष्ट प्रावधान के तहत दी गई है और झारखंड नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के लिए बच्चों का अधिकार है, बशर्ते कि स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रावधानों में दिए गए प्रावधान नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, झारखंड बच्चों का नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011, विभाग की अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है ।

Scanned with OKEN Scanner